



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48814

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 809/2026

राम स्वारथ

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शीतला सहाय श्रीवास्तव, सुधीर कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया, तथा पटल पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए दायर की गई है:

"i. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह यू.पी.सी.एच. अधिनियम, 1953 की धारा 11(1) के अंतर्गत अपील संख्या 202454143600004029 (राम स्वारथ और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अन्य बनाम रमेश और अन्य) का निस्तारण यथाशीघ्र करे; अधिमानतः, निर्धारित

समयावधि के भीतर, प्रतिदिन सुनवाई के माध्यम से।”

3. यह निवेदन किया गया है कि यह प्रकरण काफी लंबे समय से विचाराधीन है; तथापि, इसके शीघ्र निस्तारण हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि यदि उपर्युक्त प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई निर्देश जारी किया जाता है। 5. इस संदर्भ में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा; इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करना उचित समझता है। ऐसा करते समय, न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, बल्कि चकबंदी निपटारा अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) को यह निर्देश देता है कि वे उक्त मामले का निपटारा कानून के अनुसार और शीघ्रता से करें। यह निपटारा, अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से आठ महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, बशर्ते कि इसमें कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।

6. उपर्युक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

10 मार्च, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”